भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या –371
उत्तर देने की तारीखः 04.02.2020

**श्रवण बाधित युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण**
**371. प्रो॰ अच्युतानंद सामंतः**

**क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या केंद्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान श्रवण बाधित युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ओडिशा में ओडिशा राज्य सरकार या किसी गैर–सरकारी संगठन को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कौशल विकास प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में कितने श्रवण बाधित युवकों को रोजगार दिया गया है और उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री**
**(श्री कृष्णपाल गुर्जर)**

(क): जी हां, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) नामक एक समग्र (अम्ब्रेला) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें 15 से 59 की बीच के आयु के दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास हेतु एक संघटक निहित है, जिसमें श्रव्य बाधित युवा भी शामिल हैं। इस संघटक के तहत, विभाग ने मार्च, 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) का शुभारंभ किया जिसे ओडिशा राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया गया जिसके माध्यम से पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के नेटवर्क, जिसमें सरकारी संगठन (राष्ट्रीय संस्थान/राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम /समेकित श्रेत्रीय केन्द्र/अन्य सरकारी संगठन) तथा गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) शामिल हैं, के माध्यम से दिव्यांगजनों के कौशल का आयोजन किया जा रहा है। गत 3 वर्षों के दौरान एनएपी के तहत 1000 दिव्यांगजनों (श्रवण बाधित सहित) के कौशल प्रशिक्षण के लिए ओडिशा राज्य के पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) को 73.36 लाख रूपए की राशि जारी की गई।

(ख): ओडिशा राज्य में उपरोक्त कौशल विकास प्रशिक्षण के संपूर्ण होने के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित दिव्यांगजनों (श्रवण बाधित युवाओं सहित) की संख्या 666 है।

*****